GCMS
2024/132

07/02/25 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष अतः वाद वापिस स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:26:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी— सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

वाद संख्या:— 56/2024 GCMS-2024/132 दायरा दिनांक:— 26.02.2024

—: अनवान :—

श्रीमती रंजना गुप्ता पत्नी श्री संजय गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी वार्ड न. 30 सूरतगढ़ हाल निवासी नजदीक हरीबाबा मंदिर, हरिनगर, गुगामटी के सामने, होशियारपुर(पंजाब) जरिये मुख्तयारनामा आम संजय गुप्ता पुत्र श्री हरकिशोर राज जाति अग्रवाल निवासी हरि बाबा मंदिर हरिनगर, गुगामटी के सामने, होशियारपुर(पंजाब)।

....वादी

बनाम

1. अवतारसिंह चावला पुत्र हरप्रीतसिंह जाति अरोड़ासिख निवासी बसन्त विहार कॉलोनी, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. उप—पंजीयक सूरतगढ़ ।

.....प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री विनोद कुमार, अधिवक्ता, वादी
2. श्री अमित कुमार सैनी, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1
3. पैरोकार राज सूरतगढ़।

— :: निर्णय ::—

दिनांकः— 07.02.2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। बहस सुनी गई। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि रोही ग्राम मानकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के खसरा नम्बर 246 में 0.493 हैक्टेयर भूमि का 4/5 हिस्सा श्रीमती हरबन्शकौर पत्नी हरप्रीतसिंह जाति अरोड़ा निवासी वार्ड न. 28 बसन्त विहार कॉलोनी, सूरतगढ़ तथा 1/5 हिस्सा श्रीमती कैलाश गुप्ता पत्नी देशपाल गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी वार्ड न. 14 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ के नाम से खातेदारी दर्ज थी। श्रीमती हरबन्श कौर पत्नी हरप्रीतसिंह एवं श्रीमती कैलाश गुप्ता पत्नी देशपाल गुप्ता ने अपने नाम से अंकित उक्त वर्णित कृषि भूमि में से 0.00278 हैक्टेयर भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 20.11.2012 को वादीया के हक में बैयनामा उप—पंजीयक कार्यालय सूरतगढ़ में पजीबद्ध करवा दिया था। वादीया द्वारा उक्त वर्णित बैयनामा अपने पक्ष में निष्पादित होने के पश्चात् बैयनामा की प्रति तत्कालीन पटवारी हल्का को अपने नाम से इन्तकाल बैयनामा के आधार पर दर्ज करवाने के लिए दे दी थी परन्तु तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा बैयनामा के आधार पर वादीया के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया। श्रीमती हरबंश कौर ने वादीया को बैयनामा निष्पादित करवाने के पश्चात् शेष बची हुई भूमि की वसीयत अपने पुत्र प्रतिवादी न. 1 अवतारसिंह चावला

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:26:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

पुत्र श्री हरप्रीतसिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी सूरतगढ़ के पक्ष में करवा दी तथा श्रीमती हरबंश कौर के स्वर्गवास होने के उपरान्त उक्त वसीयत के आधार पर जैरवाद भूमि का नामान्तकरण भी प्रतिवादी न. 1 के पक्ष में हो गया। चूंकि वादीया के पक्ष में निष्पादित बैयनामा का इन्तकाल वादीया के पक्ष में जमाबंदी में अंकन नहीं होने से वादीया को बेचान की हुई भूमि जो श्रीमती हरबंशकौर के नाम से जमाबंदी में दर्ज होने के कारण जैरवाद भूमि भी प्रतिवादी न. 1 के नाम से दर्ज हो चुकी हैं। जबकि उक्त जैरवाद 0.00278 हैक्टेयर भूमि की बैयनामा दिनांक 20.11.2012 के आधार पर वादीया खातेदार काश्तकार हैं। वर्तमान में जैरवाद रकबा की जमाबन्दी ऑनलाईन हो चुकी हैं तथा जैरवाद खसरा नम्बर 246 की भूमि नये खसरो में पैमूद हो चुकी हैं। जिसके अनुसार वादीया का जैरवाद रकबा प्रतिवादी न. 1 अवतारसिंह चावला तथा बेचानकर्ता कैलाश गुप्ता के नाम से जमाबंदी में दर्ज वाके ग्राम मानकसर अंतिम चौसाला आधार संवंत 2072 – 2075 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 49 नया, 55 पुराना में खसरा नम्बर 306 / 284 में 0.05840 नाली प्रथम, 322 / 306 में 0.0888 नाली प्रथम, 323 / 306 में 0.0660 नाली प्रथम, 324 / 306 में 0.0440 नाली प्रथम कुल खाता 0.2572 हैक्टेयर खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं जिसमें प्रतिवादी न. 1 अवतारसिंह चावला का हिस्सा 40387 / 128600 यानि 0.080774 हैक्टेयर तथा बेचानकर्ता कैलाशगुप्ता के नाम से हिस्सा 95 / 643 यानि 0.0380 हैक्टेयर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त दोनो के नाम दर्ज रकबा में से 0.00278 हैक्टेयर भूमि की वादीया बैयनामा दिनांक 20.11.2012 के आधार पर खातेदार हैं तथा अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा इस वाद पत्र के माध्यम से करवाना चाहती हैं। मुताबिक बैयनामा वादीया द्वारा खरीदशुदा भूमि 0.00278 हैक्टेयर मे से 1 / 5 हिस्सा यानि 0.000556 हैक्टेयर भूमि बेचानकर्ता कैलाशगुप्ता के हिस्सा में से तथा शेष 4 / 5 हिस्सा यानि 0.002224 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी न. 1 अवतारसिंह चावला के हिस्सा में से कम करते हुए कुल 0.00278 हैक्टेयर भूमि की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। जो मुताबिक बैयनामा वादीया का कानूनी हक भी हैं। जैरवाद खरीदशुदा रकबा का कब्जा काश्त वादीया के पास चला आ रहा हैं। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकन नहीं होने के कारण हमेशा अदेंशा बना रहता हैं कि प्रतिवादी न. 1 जैरवाद रकबा आगे बेचान ना करदे अगर ऐसा हो गया तो वादीया को भारी नुकसान होगा। वादीया आज से 10 दिन पूर्व जैरवाद रकबा को बैयनामा के आधार पर अपने नाम से अंकन करवाने हेतु प्रतिवादीगण से मिली तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट मना कर दिया तथा कहा कि आप उपखण्ड अधिकारी की अदालत में दावा करके अपने नाम से बैयनामा के आधार पर अंकन करवा लो, हम तो अदालत से नोटिस मिलने पर ही अपना लिखित जवाब देगें। प्रतिवादीगण की यह इन्कारी ही वाद पत्र प्रस्तुत करने का मुख्य कारण हैं। अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र अनुतोष क ता ग अनुसार डिक्री किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये तथा अपना जवाब इकबालदावा प्रस्तुत कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस की तथा वाद पत्र डिक्री करने का निवेदन किया। प्रतिवादी ने अपना जवाब इकबालदावा प्रस्तुत कर दिया है।

बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया। प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार जैरवाद भूमि प्रतिवादी न. 1 का हिस्सा 40387 / 128600 तथा श्रीमती कैलाश गुप्ता पत्नी देशपालगुप्ता के नाम हिस्सा 95 / 643 दर्ज हैं। वादीया द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:26:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रस्तुत मूल बैयनामा दिनांक 20.11.2012 अनुसार ग्राम मानकसर के खसरा नम्बर 246 की 0.4490 हैक्टेयर में से 0.00278 हैक्टेयर कृषि भूमि वादीया द्वारा श्रीमती हरबन्शकौर धर्मपत्नी स.हरप्रीतसिंह व श्रीमती कैलाश गुप्ता धर्मपत्नी देशपाल गुप्ता से खरीदशुदा है। इस प्रकार मूल बेचानकर्ता श्रीमती हरबन्शकौर पत्नी स.हरप्रीतसिंह की भूमि वर्तमान में जरिये वसीयत इन्तकाल प्रतिवादी न. 1 के नाम से दर्ज हो चुकी हैं तथा श्रीमती कैलाश गुप्ता की भूमि वर्तमान जमाबंदी में उसके नाम ही दर्ज हैं। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार जैरवाद खसरा 246 नये खसरों में पैमूद होकर खसरा नम्बर 306/284 में 0.0584, 322/306 में 0.0888, 323/306 में 0.0660, 324/306 में 0.0440 कुल 0.2572 हैक्टेयर बन चुके हैं। प्रतिवादी न. 1 ने अपना इकबालजवाबदावा प्रस्तुत कर मुताबिक बैयनामा दावा डिक्री करने में अपनी सहमती दे दी हैं। इस प्रकार बैयनामा अनुसार वादीया का दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद पत्र वादीया डिक्री किया जाकर वादीया श्रीमती रजंना गुप्ता पत्नी संजय गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी वार्ड न. 30 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को जैरवाद भूमि ग्राम मानकसर पटवार हल्का मानकसर तहसील सूरतगढ़ अंतिम चौसला आधार संवंत 2072 – 2075 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 49 नया, 55 पुराना में खसरा नम्बर 306/284 में 0.05840 नाली प्रथम, 322/306 में 0.0888 नाली प्रथम, 323/306 में 0.0660 नाली प्रथम, 324/306 में 0.0440 नाली प्रथम कुल खाता 0.2572 हैक्टेयर खातेदारी में 0.00278 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि में से प्रतिवादी न. 1 अवतारसिंह चावला पुत्र हरप्रीतसिंह के हिस्सा 40387/128600 में से 0.002224 हैक्टेयर भूमि तथा बेचानकर्ता कैलाश गुप्ता पत्नी देशपालगुप्ता के हिस्सा 95/643 में से 0.000556 हैक्टेयर भूमि कम करते हुए कुल 0.00278 हैक्टेयर भूमि वादीया रंजना गुप्ता पत्नी संजयगुप्ता के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज की जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमलदरामद करें। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2025 को सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:26:33 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

श्रीमती रंजना गुप्ता पत्नी श्री संजय गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी वार्ड न. 30 सूरतगढ़ हाल निवासी नजदीक हरीबाबा मंदिर, हरिनगर, गुगामटी के सामने, होशियारपुर(पंजाब) जरिये मुख्तयारनामा आम संजय गुप्ता पुत्र श्री हरकिशोर राज जाति अग्रवाल निवासी हरि बाबा मंदिर हरिनगर, गुगामटी के सामने, होशियारपुर(पंजाब)।

....वादी

बनाम

1. अवतारसिंह चावला पुत्र हरप्रीतसिंह जाति अरोड़ासिख निवासी बसन्त विहार कॉलोनी, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. उप–पंजीयक सूरतगढ़ ।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 207, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 56 वर्ष 2024 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री विनोद कुमार बिश्नोई व वकील प्रतिवादी संख्या 1 श्री अमित कुमार सैनी व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादीया डिक्री किया जाकर वादीया श्रीमती रजंना गुप्ता पत्नी संजय गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी वार्ड न. 30 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को जैरवाद भूमि ग्राम मानकसर पटवार हल्का मानकसर तहसील सूरतगढ़ अंतिम चौसला आधार संवंत 2072 – 2075 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 49 नया, 55 पुराना में खसरा नम्बर 306/284 में 0.05840 नाली प्रथम, 322/306 में 0.0888 नाली प्रथम, 323/306 में 0.0660 नाली प्रथम, 324/306 में 0.0440 नाली प्रथम कुल खाता 0.2572 हैक्टेयर खातेदारी में 0.00278 हैक्टेयर भूमि का ख़ातेदार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि में से प्रतिवादी न. 1 अवतारसिंह चावला पुत्र हरप्रीतसिंह के हिस्सा 40387/128600 में से 0.002224 हैक्टेयर भूमि तथा बेचानकर्ता कैलाश गुप्ता पत्नी देशपालगुप्ता के हिस्सा 95/643 में से 0.000556 हैक्टेयर भूमि कम करते हुए कुल 0.00278 हैक्टेयर भूमि वादीया रंजना गुप्ता पत्नी संजयगुप्ता के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज की जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमलदरामद करे।

नोज.......... × .... मुबलिग......... × .... बाबत.......... ×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ...... × .... फर्स्दी की ...... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 27.02.2025 . को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:26:33 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)